20/06/25

वाद सं० 63/25
B.N.S.S. 163

आदेश

उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा का अवलोकन करने, उभय पक्ष के द्वारा दाखिल राजस्व संबंधी दस्तावेजों का अध्ययन करने एवं उभय पक्ष के विद्व अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि एक ही निबंधित विक्रयपत्र के आधार पर उभय पक्ष उक्त विवादग्रस्त भूमि पर अपना-अपना दावा करते हैं। उक्त विक्रयपत्र में खरीददार चार व्यक्ति हैं। जिसमें से एक क्रेता प्रथम पक्ष से संबंधित

(हस्ताक्षर)

(2)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 63/25	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	है तथा अन्य तीन क्रेतागण द्वितीय पक्ष से संबंधित है। विक्रय पत्र संयुक्त रूप से क्रेतागण के नाम से है तथा विक्रय पत्र में प्रत्येक क्रेता का अंश वर्णित नहीं है। स्पष्ट रूप से प्रस्तुत विवाद बँटवारा (partition) से संबंधित है जिसका निदान या तो आपसी सहमति अथवा सक्षम न्यायालय में बँटवारा संबंधी वाद से संभव है। चूँकि बँटवारा (partiton) से संबंधित वाद का निपटारा अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। अतः वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 20/6/25 20/6/25 SDM Bagodar-Sariya. SDM	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.08.25 13:17:17 +05:30
Location: 192.168.137.1